



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING

नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फ.सं 11-33/7/2024-सीओएमपी-नौमनि

दिनांक: 09.05.2024

नौमनि परिपत्र संख्या 12/2024

विषय: नौवहन महानिदेशालय, मुंबई हेतु सोशल मीडिया नीति - संबंधी ।

1. जबकि, इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने सरकारी एजेंसियों हेतु संवाद के गत्यात्मक माध्यम के रूप में सोशल मीडिया को प्रयोग में लाने के लिए सरकारी अभिकरणों को क्षमतावान बनाने हेतु सोशल मीडिया के प्रयोग के लिए सरकारी संगठनों हेतु ढांचा और दिशानिर्देश निरूपित किए हैं।
2. जबकि, निदेशालय ने इसी तर्ज पर अपनी नई वेबसाइट हेतु अपनी सोशल मीडिया नीति बनाई है। नौवहन महानिदेशालय की सोशल मीडिया नीति अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।
3. इसे नौवहन महानिदेशक, मुंबई के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

रवि कुमार राम

(रवि कुमार मोका)

उप नौवहन महानिदेशक (आईटी और ई गवर्नेन्स)

संलग्न : अनुलग्नक

सेवा में ,

- 1 निदेशालय के सभी स्कन्ध प्रमुख
- 2 सभी सम्बद्ध कार्यालय और फील्ड कार्यालय
- 3 निदेशालय के समस्त हितधारक

(अस्वीकरण -हिंदी या अंग्रेजी पाठ में असमानता होने या कानूनी विवाद होने की स्थिति में मूल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा)